न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, कैम्प कोर्ट, बगहा, पश्चिम चम्पारण,

आपराधिक पुनरीक्षण वाद संख्या–74/2025

कनाई बरोई एवं छह अन्य बनाम राज्य सरकार एवं एक अन्य

18.04.2026

1. अभिलेख सुनवाई हेतु नियत है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत वाद के आवेदक कनाई बरोई एवं मामले के सभी सात विपक्षीगण की ओर से आधारकार्ड की छाया प्रति संलग्न कर आज की तिथि में पुनः एक संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त संधि पत्र उनके संबंधित विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा समुचित सत्यापन के पश्चात् दाखिल किया गया। साथ ही एक आवेदन दाखिल कर सुलह के आलोक में वाद की समस्त कार्यवाही को समाप्त करने की प्रार्थना की गई।

2. वाद पुकार कराया गया। वाद के पुकार पर उभय पक्ष अपने–अपने विद्वान अधिवक्ताओं के साथ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कथन किया गया कि मामले के पक्षकारों के बीच सुलह हो गई है वह प्रस्तुत वाद में संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। अतः निवेदन करते हैं कि संधि के आलोक में वाद की समस्त कार्यवाही को वाद वापसी के आधार पर समाप्त कर दी जाए।

3. उभय पक्षों की ओर से दाखिल संयुक्त संधि–पत्र एवं प्रस्तुत अपराधिक पुनरीक्षण वाद का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपराधिक पुनरीक्षण वाद आवेदक कनाई बरोई के द्वारा न्यायालय विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम, बगहा के द्वारा विचारण वाद संख्या– 2113/2025, परिवाद पत्र संख्या– 158/2025, (संध्या देवी बनाम कनाई बरोई) में पारित आदेश दिनांक 25.09.2025 के विरोध में दाखिल किया गया है, परंतु प्रस्तुत वाद के आवेदक कनाई बरोई एवं मामले के सभी सात विपक्षीगण की ओर से संयुक्त संधि पत्र इस आशय के साथ दाखिल किया गया है कि पक्षकारों के बीच सुलह हो गई है। वह प्रस्तुत वाद में संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। उभय पक्षों की ओर से दाखिल सुलहनामा पर पक्षकारों का हस्ताक्षर बना है, तथा उनके विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा सत्यापित भी किया गया है।

4. तदनुसार, उभय पक्षों की ओर से दाखिल संयुक्त संधि–पत्र के आलोक में प्रस्तुत अपराधिक पुनरीक्षण वाद की समस्त कार्यवाही को **वाद वापसी के आधार पर समाप्त किया जाता है।** कार्यालय प्रस्तुत अपराधिक पुनरीक्षण वाद से संबंधित अभिलेख को नियमानुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर अभिलेखागार व्यवहार न्यायालय, बगहा में जमा करे।

(लेखापित)

Anamika 18/4/26

(अनामिका टी.)
सत्र न्यायाधीश
कैम्प कोर्ट, बगहा
पश्चिम चम्पारण।